निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ राज0

समक्ष श्री दिनेश कुमार मन्डोवरा R.A.S., उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

प्रकरण संख्या:– 75/2011 दिनांक:– 15/5/17

उनवान:–

पार्वतीबाई पत्नि जगदीश चंद्र जी जाति शर्मा निवासी खेरमालिया तह0 छोटीसादडी

---वादीया

:: बनाम ::

1– श्री राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, छोटीसादडी

---प्रतिवादीगण

वादी की ओर से:– वकील श्री राधावल्लभ सिंघल
प्रतिवादीगण की ओर से:– सरकार पेरोकार

वाद अन्तर्गत धारा 88–188–209 रा0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :–

1– वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेरमालिया तह0 छोटीसादडी की साबिक आराजी नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बीस्वा भेरूलाल पिता टेकचंद एवं श्री मांगीलाल पिता हेमराज ब्राहमण निवासी खेरमालिया के खातेदारी की होकर वादिया ने उक्त आराजीयात जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 18–01–1984 बिल एवज 15000/– रूपये में कय की जिसका नामान्तरण कमांक 297 दिनांक 23/03/1985 से उक्त आराजीयात केता वादिया पार्वतीबाई के नाम से जमाबन्दी में अंकित की गई हैं।

2– कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नये भू माप से 0.56 हैक्टेयर भूमि बनती हैं, मगर भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजीयात के नये नम्बर 666 अंकित किये जाकर नया भू माप 0.46 हैक्टेयर अंकित कर दिया गया और इस प्रकार वादिया के खातेदारी में 0.10 हैक्टेयर भूमि कम अंकित कर दी गई।

3– कि वादिया का वक्त खरीद से ही आज तक निरंतर मौके पर पुराने भूमाप से 2 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर सन् 1984 से ही निरंतर कब्जा. चला आ रहा हैं मगर भू प्रबन्ध की त्रुटि से वादिया के खातेदारी में उक्त आराजीयात नवीन नम्बर से आराजी नं0 666 रकबा 0.46 हैक्टेयर अंकित कर दी गई। वादिया के खातेदारी की उक्त आराजीयात के पूर्व में बिलानाम सरकारी जमीन स्थित हैं। जिसके वर्तमान नम्बर 779 रकबा 4.81 हैक्टेयर भूमि स्थित हैं। वादिया की कब्जेशुदा आराजीयात का कमी रकबा उक्त बिलानाम आराजी में मिला दिया गया हैं।

4– कि वादिया के खातेदारी की साबिक आराजी नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा का नये भू माप से 0.56 हैक्टेयर भूमि बनती हैं, जिससे न्याय हित में उक्त 0.56 हैक्टेयर भूमि वादिया के खातेदारी की घोषित की जाकर कमी रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि बिलानाम सरकारी भूमि आरजी नं0 779 में कम की जाकर 0.10 हैक्टेयर भूमि वादिया के खातेदारी की घोषित किया जाना न्यायोचित हैं।

5– कि वादिया साबिक ...

वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द करमाया जावे कि इस वाद के निराकरण तक वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया। जवाब की चरण संख्या 1 को वादी स्वयं सिद्ध करें। तथा साबिक आराजी नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नवीन भूप्रबन्ध में गत रकबे के मुकाबले नये खसरा नं0 666 में 0.10 हैक्टेयर भूमि कम अंकित कर दी गई यह तथ्य वादिया स्वयं सिद्ध करें। चरण संख्या तीन में अंकित किया कि वादी का कमी रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि नवीन खसरा नं0 779 रकबा 4.81 हैक्टैयर में मिला दिया गया हैं यह कथन वादी का अस्वीकार हैं।उक्त बिलानाम आराजी पर अगर किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता हैं तो प्रतिवादी को पूर्ण अधिकार हैं कि अतिक्रमी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। चरण 6 में अंकित किया कि तहसील छोटीसादडी में नवीन सेटलमेंट हुये लगभग 25 साल हो चुके हैं जिससे वादी का वाद बेमियाद हैं।

कि उक्त प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई:– 1– आया वादी वादपत्र की कलम नं0 2 में अंकित आराजीयात साबिक आराजी नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा नये भूमाप 0.56 हैक्टेयर खातेदारी की घोषणा के साथ कमी रकबा 0.10 हैक्टेयर भी खातेदारी में अंकित कराये जाने की अधिकारी हैं।

वादी की ओर से बयान गवाह वादी स्वयं ने उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज प्रदर्श कराये व शपथ ली। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

मैनें विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनि और पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया ने मौजा खेरमालिया तह0 छोटीसादडी की साबिक आराजी नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बीस्वा भेरूलाल पिता टेकचंद एवं श्री मांगीलाल पिता हेमराज ब्राहमण निवासी खेरमालिया से उक्त आराजीयात जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 18–01–1984 बिल एवज 15000/– रूपये में कय की उक्त आराजीयात साबिक नं0 499 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा के नये भू माप से 0.56 हैक्टेयर भूमि बनती हैं, मगर भू प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजीयात के नये नम्बर 666 अंकित किये जाकर नया भू माप 0.46 हैक्टेयर अंकित कर दिया गया और इस प्रकार वादिया के खातेदारी में 0.10 हैक्टेयर भूमि कम अंकित कर दी गई। वादिया ने निवेदन किया कि उक्त कमी रकबा 0.10 हैक्टेयर बिलानाम आराजी 779 रकबा 4.81 हैक्टेयर में मिला दिया गया हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता हैं कि वादिया का कमी रकबा 0.10 हैक्टेयर बिलानाम आराजी 779 रकबा 4.81 हैक्टेयर में मिला दिया गया हैं जिससे आराजी नं0 779 रकबा 4.81 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर कमी की जाकर वादिया के खातेदादी में घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर वाद वादीया डिकी किया जाकर वादीया के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध आराजी मौजा खेरमालिया के आराजी नं0 779 रकबा 4.81 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर कमी की जाकर वादिया के खातेदारी में घोषित कि जाती हैं। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व रिकार्ड में वादीया को आराजी नं0

खातेदार काश्तकार के रूप में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार डिकी जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15-5-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी